न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 657/2023
अनवान : –

1. सलीम खां पुत्र चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. नूर मोहम्मद पुत्र चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।
2. असलम पुत्र चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।
3. सलमा बानो
4. नजमा
5. सईया

} पुत्रीयान चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।

6. मरियम पुत्री चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 78/76 की कुल 12.5200 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि चिरागदीन पुत्र बागे खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चिरागदीन पुत्र बागे खां के से दर्ज है जो कि वादी का पिता है चिरागदीन पुत्र बागे खां का देहान्त हो चुका है चिरागदीन पुत्र बागे खां के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो चिरागदीन पुत्र बागे खां के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। मुस्लिम विधि के अनुसार मृतक की सम्पति में पुत्र का 2 हिस्सा व पुत्रीयों का 1 हिस्सा है भाईयों का 2/3 हिस्सा एवं बहिनों का 1/3 हिस्सा यानि मृतक चिरागदीन पुत्र बागे खां के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि यानि की 1.565 हैक्ट भूमि में से 4 बीघा भूमि वादी एव व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बहिब के खातेदार हुए तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 चारों 2 बीघा में बहिब के खातेदार काश्तकार हुए। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 जो की वादी के भाई/बहिन है ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग कर अन्य कर लिया है। बाद हक त्याग 1.4385 हैक्ट भूमि पर वादी काबिज है व शेष भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 6 काबिज है। वादी मृतक चिरागदीन का नाम राजस्व रिकार्ड से कटवाकर इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074–77 रोही मौजा मेघसिंहपुरा खाता संख्या 78 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र चिरागदीन प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र खातुन बानो प्रदर्श–3, वार्ड पार्षद वार्ड न0 4 नगरपालिका नोहर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श– 4 ए आदि प्रदशिर्त करवायें। प्रतिवादीया संख्या 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री विजयसिंह कड़वासरा ने वकालनामा पेश कर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया संख्या 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता चिरागदीन पुत्र बागे खां हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीया संख्या 6 का जितना भी हक हिस्सा बनता है उसे दिया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

प्रतिवादीया संख्या 6 के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन [illegible] पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 78/76 की कुल 12.5200 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि चिरागदीन पुत्र बागे खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता चिरागदीन पुत्र बागे खां का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वार्ड पार्षद वार्ड न0 4 नगरपालिका नोहर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा चिरागदीन पुत्र बागे खां के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 78/76 की कुल 12.5200 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि चिरागदीन पुत्र बागे खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में चिरागदीन पुत्र बागे खां का नाम कलमजन किया जाकर 1.4385 हैक्ट भूमि का वादी को एवं शेष 0.1265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया स0 6 को` खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:56 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 657 / 2023
अनवान : –

1. सलीम खां पुत्र चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. नूर मोहम्मद पुत्र चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।
2. असलम पुत्र चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।
3. सलमा बानो
4. नजमा
5. सईया
} पुत्रीयान चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।
6. मरियम पुत्री चिराग दीन जाति जोईया मुसलमान निवासी चक मेघसिंहपुरा हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 657 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 78 / 76 की कुल 12.5200 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि चिरागदीन पुत्र बागे खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में चिरागदीन पुत्र बागे खां का नाम कलमजन किया जाकर 1.4385 हैक्ट भूमि का वादी को एवं शेष 0.1265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया स0 6 को` खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:56 IST
Reason: SelfAttested